



प्रेमचन्द के उपन्यासों में किसानों की वस्तुस्थिति का अध्ययन

Ranu sharma

Ph.D. scholar, Dept of Hindi, JS University Sikhoabad, Ferozabad UP

सार

प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ई. में वाराणसी के समीप लमही नामक गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता अजायब राय डाकखाने में किरानी थे। जब उनकी आयु मात्र सात वर्ष थी तभी इनकी मां श्रीमती आनंदीबाई का देहांत हो गया। इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, परंतु विमाता इन्हें प्रेम की बजाय घृणा की दृष्टि से देखती थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया, परंतु वह पत्नी के लड़ाकू प्रवृत्ति की होने के कारण सफल नहीं रहा। उन्होंने जैसे-तैसे दसवीं कक्षा पास करके प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कार्य किया। नौकरी के साथ-साथ उन्होंने बीए की परीक्षा पास की और शिक्षा विभाग में डिप्टी स्पेक्टर नियुक्त हुए। इस बीच 1905 ई. में इन्होंने बाल-विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। शिवरानी देवी से इनका विवाह सफल रहा। इनकी पत्नी ने इनका कदम-दर-कदम सहयोग किया।

मुख्य शब्द : साहित्य, भारतीय, किसान, व्यापारी, उपन्यास इत्यादि ।

प्रस्तावना

भारतीय किसानों का हृदय इतना सरल और निष्कपट होता है कि वह मनुष्य तथा मानवेतर प्राणियों से भी भावनात्मक लगाव रखता है। 'तोड़ी' नामक आभूषण जिसे स्त्रियाँ पैरों में पहनती हैं को आधार बनाकर लेखक ने किसानों का जो गहनों के प्रति परंपरागत लगाव होता है उसे बड़े ही हृदयविदारक लहजे में अभिव्यक्त किया है। रामप्रसाद जब तोड़ी बेचने महाजन के पास जाता है वहाँ का दृश्य उसे अपने पुरखों की बनी बनाई ईमारत को ढहते दिखाई देता है। तोड़ी पिघल रही है ऐसा लग रहा है कि कोई पदार्थ नहीं बल्कि रामप्रसाद का हृदय पिघल रहा है।

अकाल में उत्सव उपन्यास का ताना बना मुहावरों और कहावतों से बुना गया है। इस उपन्यास को आलोचकों ने अपने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। नासिरा शर्मा ने इसे 'प्रेमचन्द का गाँव एक नई भाषा शैली में फिर से जिन्दा हो उठा' कहा है, महेश कटारे ने 'भारतीय किसान के जीवन का शोकगीत', डॉ. पुष्पा दुबे ने 'कंपकंपाती लौ और थरथराते धुँएँ की दुःख भरी कहानी' कहा, ब्रजेश राजपूत ने 'किसानों के दुःख दर्द का बेचैन करने वाला किस्सा' कहा, ओम शर्मा ने 'आज के किसान की जिंदगी का सच्चा दस्तावेज़ कहा। मेरे हिसाब से यह उपन्यास 'किसान की बदकिस्मती का जीता जागता आईना' है। ऐसा आईना जिसमें किसानों की दयनीयता को देखा जा



सकता है। एक बार फिर से पंकज सुबीर ने गंवाई जीवन शैली और किसान आत्महत्या जैसे विषय को कथा साहित्य में पाठकों, आलोचकों और समीक्षकों को सोचने पर मजबूर करता है।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में भारतीय किसान

भारत की पहचान एक कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में रही है। स्वाधीनता पूर्व यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी, आज यह आँकड़ा कम तो हो गया है, परन्तु अभी भी हमारे देश में गाँव बहुतायत में हैं। जहाँ स्वाधीनता के 70 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि व कृषि आधारित है, परन्तु दुर्भाग्य आज भी हमारे किसानों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। आज भी वे ऋण के बोझ तले दबा हुआ आत्महत्या करने को विवश है। आज प्रत्येक वस्तु की कीमत आसमान पर है, परन्तु किसान इन बढ़ती कीमतों का सांझीदार कभी नहीं बन पाता, बिचैलिये और व्यापारी उसकी मेहनत का भरपूर फायदा उठाते हैं और किसान उसी गरीबी और बदहाली में अपने दिन काटता है।

प्रेमचन्द इस बात से भी चिन्तित हैं कि भारतीय किसान के पास पर्याप्त जमीन नहीं है। उनके खेत बहुत छोटे और बिखरे हैं, जिनमें कार्य करने में उसका समय व शक्ति दोनों नष्ट होते ही हैं। वे लिखते हैं, "अधिकतर किसानों के पास दो ढाई बीघे से ज्यादा नहीं होता और उसमें भी पाँच बिस्वे उत्तर, तो पाँच बिस्वे दक्खिन। पाँच बिस्वे को जोतकर उसे हल बैल लिए मील भर चलना पड़ता है। तब कहीं दूसरा खेत मिलता है।" इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारतीय भूमि व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया। औपनिवेशिक शासन से पूर्व किसान का अपनी कृषि भूमि पर स्वामित्व था तथा वह सालाना कर के रूप में 'राजा का भाग' देता था, जो भूमि के अनुरूप कम या ज्यादा होता था, "अंग्रेजों ने इस पुरानी परम्परा को खत्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। यह रकम जमीन के हिसाब से तै की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज्यादा जो रकम पहले तै कर दी गयी थी वही वसूल की जाती थी।"..... इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी जमीन पर अन्तिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरे की जमीन पर लगान देकर खेती करने वाला न गया। लगान न देने पर उसे जमीन से बेदखल किया जा सकता था। या अंग्रेजी सरकार ने जमीनों में कुछ ऐसे लोगों को दे दी, जिनको उसने जमींदार नामजद करना पसन्द किया।" यहीं जमींदार किसानों के सबसे बड़े शत्रु बने।

प्रेमचंद और किसान

प्रेमचन्द अपने पूरे जीवन में, और उनका जीवन एक अपार संघर्ष है, 60 वर्ष की उम्र नहीं पूरी कर सके फिर भी जीवन भर लम्बा संघर्ष उन्होंने इस बात के लिए चलाया कि जिस औपनिवेशिक तन्त्र के ज़रिये भारत की बदहाली हो रही है, उस तन्त्र का पूरा नंगा चेहरा सामने लाया जाये। इसके लिए न सिर्फ सृजनात्मक लेखन के ज़रिये बल्कि जब वह फिल्म में गये, जो पत्रकारिता उन्होंने की, उन सबके जरिये कोशिश की। इस तरह वो बात जिसका आम



फसाने में कोई ज़िक्र न था, कोई भी जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, उस चीज़ को हमेशा उन्होंने उजागर करने की कोशिश की।

प्रेमचन्द को आधुनिकीकरण से कोई परहेज़ नहीं था, उन्हें आधुनिकीकरण के तरीके से शिकायत थी। शिकायत थी कि जो चीनी मिल है वह गन्ना किसान को सूदखोर से आज़ाद नहीं कर पा रही है। सूदखोर से बचने के लिए किसान मिल पर जा रहे हैं कि गन्ना वहाँ पर बेचेंगे। क्या दारूण कथा है कि एक किसान मुँह में दबाकर पैसे बचा लाया है और जा कर ताड़ी पीता है। यह विपन्नता पैदा हो गयी थी उस दौर में। होरी से कहता है कि आज मैं दाँत में दबाकर पैसा ले आया था, सोचा आज ताड़ी पी लेता हूँ ! ऐसी अवस्था। चीनी मिल, जो आधुनिकीकरण की प्रतीक है, वह किसान को आज़ाद नहीं कर रही है। वहाँ पर सूदखोर पहुँच गये और गन्ने का ज्यों ही पैसा मिलता है, त्यों ही वे रखवा लेते हैं। इस तरह से जो यह आधुनिकता है वह भी किसान के शोषण का जो पुराना तरीका है जिसे खुद उपनिवेशवाद ने पैदा किया था अपनी उगाही के लिए, उससे कोई मुक्ति नहीं प्रदान कर रहा, यह प्रेमचन्द की शिकायत है।

किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद का गोदान उपन्यास

प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में संपूर्ण भारतवर्ष के किसानों के दुःख-दर्द का चित्रण नहीं किया है; उन्होंने सिर्फ उत्तर भारत में ज़मींदारी-प्रथा के भीतर रहने वाले किसानों का वर्णन किया है। ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ों ने कुछ हिस्सों में रैयतवारी और कुछ हिस्सों में इस्तमवारी. भूमि-व्यवस्था लागू कर रखी थी। रैयतवारी व्यवस्था में किसान अपनी लगान सीधे अंग्रेज़ सरकार को दे देता है। इस्तमवारी व्यवस्था में लगान वसूलने का काम बिचौलिए वर्ग के रूप में ज़मींदार वसूल करते थे तथा ज़मींदार ही अंग्रेज़ों के पास लगान जमा करवाते थे। देशी रियासतों में भूमि कर की व्यवस्था स्थानीय सामंत किया करते थे, जो अपने जागीरदारों एवं अन्य लोगों के माध्यम से लगान वसूल करते थे। उन्होंने न तो देशी रियासतों के भीतर रहने वाले किसानों का वर्णन किया है और न रैयतवारी, व्यवस्था में रहने वाले किसानों को उपस्थित किया है।

उनकी आरंभिक रचनाओं, विशेषकर “प्रेमाश्रय” में तो रैयतवारी व्यवस्था का समर्थन किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से भी उन्होंने लखनऊ फैजाबाद, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़ के आसपास के किसानों को चित्रित किया है। इसलिए होरी भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण भारत के किसानों का प्रतिनिधि पात्र नहीं है। वह तो सिर्फ उत्तर भारत की ज़मींदारी-व्यवस्था में रहने वाले किसानों के दुःख-दर्द को वहन करता है।

“गोदान” में प्रेमचंद ने मोटे तौर से तीन तरह के किसानों का वर्णन किया है। बेलारी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, वे लगान देते हैं, परंतु स्वयं उस पर खेती नहीं करते। वे अपने खेत में खेत-मज़दूरों से काम करवाते हैं। “गोदान” के सभी धनी किसान इस श्रेणी में आते हैं। पं.दातादीन, झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी आदि कोई खेत में जाकर काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। प्रेमचंद इन्हें किसान नहीं मानते। इसलिए इस वर्ग के पक्ष



में वे कुछ नहीं लिखते। ये लोग ज़मींदार या कारिन्दो से मिलकर गरीब किसानों के शोषण में सहायक की भूमिका निभाते हैं। धनिया इन्हें “हत्यारा” कहती है। गाँव में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती। ये दूसरों की ज़मीन पर खेती का काम करते हैं। दलित जातियों से संबंधित ऐसे लोग खेत-मज़दूरों की श्रेणी में आते हैं। प्रेमचंद ने बहुत सहानुभूति से इन पात्रों को उपस्थित किया है। हरखू, सिलिया और उनका परिवार इसी श्रेणी में आता है। प्रेमचंद इस वर्ग को भी किसान नहीं मानते। किसान इस वर्ग में मिल रहे हैं, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, इसे प्रेमचंद ने देखा है, दिखाया है, चिंता की है। परंतु वे किसान से मज़दूर बन जाने में किसान की हेठी समझते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते। इस वर्ग की पीड़ाओं का भी विस्तृत वर्णन प्रेमचंद नहीं करते। इनके दुःख-दर्द की ओर इशारा करके वे आगे बढ़ जाते हैं।

किसानों का आर्थिक-सामाजिक शोषण

“गोदान” में होरी-धनिया “मोटा-झोटा खाकर मरजाद के साथ रहना चाहते हैं। वे एक किसान के रूप में जीवन बसर करते रहने के लिए प्रयत्नशील हैं। गाय पालने की एक छोटी-इच्छा जरूर है, परंतु नीति और धर्म के मार्ग पर चलकर इस इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। मेहनती हैं, ईमानदार हैं – परंतु वर्तमान व्यवस्था में वे अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पाते किसानों और मर्यादा में से उन्हें किसी एक को तिलांजलि देनी है। होरी किसान बने रहना चाहता है, परंतु रह नहीं पाता।

प्रेमचंद ने होरी की इस कामना के विरोधियों के अंतःसंबंध और उनके हथकण्डों का पर्दाफाश किया है। प्रेमचंद प्रथमतः ज़मींदार विरोधी थे। इस तंत्र की पद्धति का उद्घाटन करते हुए साम्राज्यवाद विरोधी हो गए। “गोदान” में अंग्रेज़ी राज का शोषण राज्य-कर्मचारियों के द्वारा होता है। होरी के गाँव में पटेश्वरी सरकारी नौकर है। वह एक बार धमकाते हुए कहता है, “मैं ज़मींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और ज़मींदार दोनों का मालिक है।”

प्रेमचंद ने ज़मींदारों की असलियत का बयान करते हुए शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य के शोषण एवं आतंक की ओर इशारा किया है। राय साहब कहते हैं, “हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है।” परंतु करें क्या? “अफसरों को दावतें कहाँ से दूँ, सरकारी चन्दे कहाँ से दूँ?...आएगा तो असामियों ही के घर से। आप समझते होंगे, ज़मींदार और ताल्लुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं; अगर वह धर्मात्मा बन कर रहे तो उनका जिन्दा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियाँ न. दें, तो जेलखाना हो जाए।” (“गोदान”, पृ.145) एक दूसरे प्रसंग में वे कहते हैं, “वसूली सरकार के घर गई। बकाया असामियों ने दबा लिया। तब मैं कहाँ जाऊँ?” (“गोदान”, पृ.142) तात्पर्य यह है कि होरी का शोषण सूत्र अंग्रेज़ी राज तक जाता है। प्रेमचंद ने चूँकि अंग्रेज़ों की शोषण प्रक्रिया का



उद्धाटन नहीं किया है, इसलिए वे आवश्यकतानुसार उस ओर इशारा करके अपनी मूल कथा-भूमि में लौट आते हैं।

निष्कर्ष

प्रेमचंद किसान को किसान के रूप में देखना चाहते हैं। इसी वर्ग में रहते हुए इनकी दशा सुधारने की वकालत करते हैं। होरी इसी गरीब छोटी जोत वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। ऐसा किसान जिसके पास पाँच-छह बीघा जमीन है, बकाया लगान का बोझ है, न . उतरने वाला ऋण है, अनेक सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं से जकड़ा हुआ है, असंगठित है, असहाय है और बस खेत-मज़दूर बनने ही वाला है। प्रेमचंद इसके पक्षधर हैं। अनेक कष्टों के बावजूद होरी की किसान बने रहने की इस जिद्दनुमा आकांक्षा को प्रेमचंद ने बहुत आदर से देखा है। यह एक किसान के अस्तित्व रक्षा का सवाल है। इस आकांक्षा के लिए होरी छोटी-मोटी बेईमानी भी करता है, यहाँ तक कि अंत में अपनी बेटी बेचने पर मजबूर हो जाता है। तब भी, वह लेखकीय सहानुभूति से वंचित नहीं होता। प्रेमचंद उसकी अनैतिकता में भी नैतिक गौरव देखते हैं और दिखाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. Prasad, D. R. R. (2018). प्रेमचंद और किसान आंदोलन.
2. Prasad, R. R. (2018). प्रेमचंद और किसान आंदोलन.
3. Rehman, M. (n.d.). प्रेमचन्द कि साहित्यिक रुचि.
4. Sameena Banu. (2018). मुंशी प्रेमचन्द्र का हिन्दी साहित्य मे योगदान. Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 15(11), 289–295.
5. Sengupta, V. (2020). हिन्दी साहित्य में किसानः. Al-Bayān – Journal of Qur’ān and Hadīth Studies.
6. Verma, B. Y. K. (2016). प्रेमचंद के किसान, पिछड़ी जातियाँ और भारतीय संस्कृति.
7. अग्रवालडॉ० प्रीति. (2020). समकालीन हिंदी उपन्यासों में किसान विमर्श, 50–52.
8. किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान. (2020).
9. कुमारीसुनीता. (2011). प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन.
10. कुशवाहासुभाष चन्द्र. (2016). हिन्दी कहानी और किसान अनुभूति.
11. कौरसंदीप. (2017a). प्रेमचंद का कथा साहित्यः भारतीय किसान की स्थिति/.
12. कौरसंदीप. (2017b). प्रेमचंद का कथा साहित्यः भारतीय किसान की स्थिति. प्रेमचंद ने भारतीय किसान के, करता हुआ दिखाई देता है।

UGC Approved Journal

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed

ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 05 | May 2018

